अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र

Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 118, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 14 जून, 2019

No. 118, Port Blair, Friday, June 14, 2019

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 14 जून, 2019।

सं. 118/2019/फा.सं. 2–817/स्टार्ट–अप नीति/पीएल/आईएनडी/2018–19.– माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के खण्ड 10.1 अभिनव तथा स्टार्ट–अप नीति, 2018 के अनुसरण में निम्नलिखित संरचना सहित "अण्डमान तथा निकोबार स्टार्ट–अप समिति" गठित करते हैं :–

1	मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	अध्यक्ष
2	सचिव, सूचना तथा प्रौद्योगिकी, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	सदस्य
3	सचिव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	सदस्य
4	सचिव, शिक्षा, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	सदस्य
5	सचिव, सूचना, प्रचार तथा पर्यटन, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	सदस्य
6	सचिव, श्रम, रोजगार तथा प्रशिक्षण, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	सदस्य
7	सचिव, मत्स्य, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	सदस्य
8	एक तकनीकी विशेषज्ञ	आमंत्रित सदस्य
9	उद्योग, शिक्षा जगत, इंक्युबेटर तथा शीर्ष उद्योग संगठनों, क्षेत्रीय उद्योग संगठनों, प्रशिक्षण तथा विकास संस्थानों आदि के प्रतिनिधियों सहित सदस्यगण एवं हितधारकगण	आमंत्रित सदस्य
10	सचिव, उद्योग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन	सदस्य सचिव

अण्डमान तथा निकोबार स्टार्ट–अप समिति, संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर नीति कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण, पारितांत्रिक विकास का शीर्ष निकाय तथा स्टार्ट–अप परामर्शदात्री हैं ।

यह समिति निम्नलिखित कार्य करेगी लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं होगा ।

क) स्टार्ट–अप समिति इसके अलवा संस्वीकृति प्राधिकारी के लिए अनिन्ट द्वारा प्रदान किए गए सारे प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा ।

ख) नोडल एजेसियों का अनुमोदन ।

ग) मेंटर संस्थानों, इंक्युबेटरों, उद्योग निकायों का नामिकायन करना ।

ङ) आवधिक समीक्षा के आधार पर कार्य निष्पादन का अनुवीक्षण ।

च) समय-समय पर नीति दस्तावेजों पर चर्चा कर आशोधन के लिए सुझाव देना ।

एडमिरल डी.के. जोशी
पी.वी.एस.एम, ए.वी.एस.एम, वाई.एस.एम, एन.एम, वी.एस.एम, (अवकाश प्राप्त)
उप राज्यपाल,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./-
(अजीत आनंद)
उद्योग निदेशक